

FAX

पत्र संख्या:-पी0-04/43-38-34-2021/.....08

I

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक :- 04.01.2023

सेवा में,

पुलिस उप-महानिरीक्षक, एस०टी०एफ०, बिहार, पटना।
पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना।
पुलिस अधीक्षक, वितंतु, बिहार, पटना।

विषय:- केन्द्रीय अनुकंपा समिति की अनुशंसा के उपरान्त आवेदकों/आवेदिकाओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पुलिस मुख्यालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-4229, दिनांक-23.05.2017, तदनुसार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक-6860/पी०-03, दिनांक-13.08.2017 के आलोक में केन्द्रीय अनुकंपा समिति की बैठक दिनांक-20.12.2023 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित क्रमांक-1 से 3 के मामले में वांछित कांगजात/सूचना अप्राप्त रहने के कारण तत्काल उसे लंबित रखते हुए वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित प्राधिकारों को लिखे जाने का निर्णय लिया जाता है:-

क्र० सं०	आश्रित/मृतक का नाम/पदनाम/अंतिम पदस्थापन/मृत्यु की तिथि/मृतक से संबंध/कोटि	अनुशंसित पद का नाम	शारीरिक माप/आवेदक का पिता/पति की मृत्यु की तिथि को उम्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	अनिल कुमार सिंह/स्व० शालीग्राम सिंह/सिपाही/निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना /24.04.2006/पुत्र/अनारक्षित	सिपाही	ऊँचाई-174 से०मी० सीना-104-110 से०मी० उम्र-24 वर्ष 03 माह 19 दिन	लंबित (मामले में माननीय न्यायालय के सभी न्यायादेशों की प्रति अप्राप्त रहने के कारण)
2.	बेजन्ती देवी/स्व० राजा राम चौधरी/फिटर/वितंतु/14.05.2013/पुत्री/महादलित	समूह-घ	उम्र-29 वर्ष 04 माह 13 दिन (वर्तमान उम्र-39 वर्ष 11 माह 19 दिन)	लंबित (तथ्य की भूल को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार्य किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण)
3.	ज्ञाननिधि कश्यप/स्व० शत्रुघन कुमार/जे०सी०-1094/एस० टी० एफ०, पटना/22.06.2023 /पुत्र/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	सिपाही	ऊँचाई-157 से०मी० सीना-75-78 से०मी० उम्र-19 वर्ष 02 माह 20 दिन	लंबित (सीना की माप निर्धारित मानको से कम रहने के कारण)

क्रमांक-1 एवं 2 से संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उपरोक्त आवेदिकाओं/आवेदकों के नाम के सामने अंकित कारणों से संबंधित प्रतिवेदन 07 दिनों के अन्दर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय। क्रमांक-3 से संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवेदक की सीना की पुनः माप कर प्रतिवेदन 07 दिनों के अन्दर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

प्रस्ताव में पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :-

- आई० टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
बिहार, पटना।